[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i)]

Government of India
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

Notification

New Delhi, 30th September, 2019

G.S.R. ......(E).—In exercise of the powers conferred by sections 396,398,399, 403 and 404 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Registration Offices and Fees) Fifth Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014, in the Annexure, in item VII relating to FEE FOR FILING e- Form DIR-3 KYC or DIR-3 KYC-WEB under rule 12A of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, after sub- item no.(i), the following Note shall be inserted, namely:-

"Note: For the financial year ended on 31st March, 2019, no fee shall be payable in respect of e-form DIR-3 KYC or DIR-3 KYC-WEB through web service till 14th October, 2019.".

[F. No. 01/16/2013 CL-V (Pt-I)]

30/9/19

K.V.R. MURTY, Joint Secretary.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Extra ordinary, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 268(E), dated the 31st March, 2014 and subsequently amended by:-

Serial Number	Notification Number	Notification Date
1.	G.S.R. 297(E)	28-04-2014
2.	G.S.R. 122(E)	24-02-2015
3.	G.S.R. 438 (E)	29-05-2015
4.	G.S.R. 493(E)	06-05-2016
5.	G.S.R. 48(E)	20-01-2018
6.	G.S.R. 435(E)	07-05-2018
7.	G.S.R.616 (E)	05-07-2018
8.	G.S.R.797 (E)	21-08-2018
9.	G.S.R.905(E)	20-09-2018
10.	G.S.R.143 (E)	21-02-2019
11.	G.S.R.329 (E)	25-04-2019
12.	G.S.R.340 (E)	30-04-2019
13.	G.S.R. 527 (E)	25-07-2019

******

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितंबर, 2019

सा.का.नि. ....(अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 396,398,399,403 और 404 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) पांचवां संशोधन नियम, 2019 है।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 के अनुलग्नक में, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 के नियम 12क के अधीन ई-प्ररूप डीआईआर-3 केवाईसी अथवा डीआईआर-3 केवाईसी-वेब फाइल करने हेतु फीस से संबंधित मद VII में, उप-मद संख्या (i) के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"टिप्पण: 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, 14 अक्तूबर, 2019 तक वेब सेवा के माध्यम से ई-प्ररूप डीआईआर-3 केवाईसी अथवा डीआईआर-3 केवाईसी-वेब के संबंध में कोई फीस देय नहीं होगी।"

[फा.सं.01/16/2013-सीएल.V(पार्ट-I)]

के.वी.आर. मूर्ति
30/9/19

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.268(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए -

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख
1.	सा.का.नि.297(अ)	28.04.2014
2.	सा.का.नि.122(अ)	24.02.2015
3.	सा.का.नि.438(अ)	29.05.2015
4.	सा.का.नि.493(अ)	06.05.2016
5.	सा.का.नि.48(अ)	20.01.2018
6.	सा.का.नि.435(अ)	07.05.2018
7.	सा.का.नि.616(अ)	05.07.2018
8.	सा.का.नि.797(अ)	21.08.2018
9.	सा.का.नि.905(अ)	20.09.2018
10.	सा.का.नि.143(अ)	21.02.2019
11.	सा.का.नि.329(अ)	25.04.2019
12.	सा.का.नि.340(अ)	30.04.2019
13.	सा.का.नि.527(अ)	25.07.2019

*****